

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6807 / 746

दिनांक: 13/6/2017

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,  
अम्बाला ।

विषय: Diversion of 0.069 ha. of forest land in favour of Manager (T/L), Power Grid Corporation of India Ltd., Panipat for construction of 4010 KV D/C (Quad) Kurukshetra-Jind Transmission Line, under forest division and District Kurukshetra, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Trans/20866/2016


संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-6807 / 2236 दिनांक 14-10-2016 ।


उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयोक्त उद्देश्य हेतु 0.069 है० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा । परन्तु 65 पौधे नष्ट होंगे ।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 191286/- रुपये (एक लाख इक्यानवे हजार दो सौ छियासी रुपये) की राशि से डी०यू०के० रेलवे लाईन कि०मी० 151-164 के दोनों ओर 268 पौधे लगा कर किया जाएगा ।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
- (v) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (vi) प्रस्तावित संचारण लाईन के लिए मार्गाधिकार की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 46.00 मीटर होगी ।
- (vii) प्रत्येक कण्डक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जाएगी । परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा ।
- (viii) कण्डक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 5.5 मीटर होना चाहिए । कण्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जाएगा । बिजली की निकासी बनाए रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट-छाँट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा । संचारण लाईन के मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा ।
- (ix) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन०पी०वी० की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन०पी०वी० की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।
- (x) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे ।

- (xi) प्रयोक्ता एजैन्सी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउण्ड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी ।
- (xii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य वन विभाग से विचारविमर्श करके संचारण लाईन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधीय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध कराएगी ।
- (xiii) यदि संचारण लाईन का बनाए जाने वाला हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ पर पर्याप्त निकासी पहले ही मौजूद है, वहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे ।
- (xiv) प्रयोक्ता एजैन्सी कूड़े कर्कट का निष्पादन राज्य वन विभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार पूर्व निश्चित स्थलों पर इस प्रकार से करेगी कि यह नीचे की तरफ न गिरे ।
- (xv) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।
- (xvi) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
- (xvii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।
- (xviii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी ।
- (xix) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।
- (xx) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।
- (xxi) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।
- (xxii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजैन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर कम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।
- (xxiii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xxiv) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xxv) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी ।
- (xxvi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी
3. राज्य सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

  
 नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0),  
 कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
 पंचकुला ।



प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।
3. Manager (T/L), Power Grid Corporation of India Ltd., Panipat.